

बन्धु शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
कानपुर



प्रबन्ध मण्डल की 988वीं बैठक  
दिनांक 29-09-99 का कार्यवृत्त

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।  
प्रबन्ध मण्डल की 144वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक : 29.01.2011

सभास्थल : प्रसार निदेशालय का समिति कक्ष।

समय : मध्याह्न 12:00 बजे

उपस्थिति :-

1.	डा० जी०सी० तिवारी, कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री एस०सी० मुदगल, अपर निदेशक कोषागार,	प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
3.	डा० आर० के० दीक्षित, कृषि वैज्ञानिक, जी-649, कैलाश विहार, आवास विकास-1 कल्यानपुर, कानपुर।	सदस्य
4.	श्री राम शिरोमणि शुक्ल, सदस्य विधान सभा, शुक्ला भवन, 781/2 डी०, बाघम्बरी गद्दी रोड, नेह निकुंज कलोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद	सदस्य
5.	श्रीमती अरूणा तोमर, सदस्य विधान सभा, 598, सफीपुर, लाल बंगला, रामादेवी चौराहा, कानपुर।	सदस्या
6.	श्रीमती विजय लक्ष्मी पाल, ग्राम-बडागाँव गुलाम कयूम, पोस्ट-झीझंक, तहसील-डेरापुर, जिला-कानपुर देहात।	सदस्या
7.	श्री सुरेश पचौरी (प्रधान), ग्राम-नौहरिका, पोस्ट-इरादत नगर, जनपद-आगरा।	सदस्य
8.	श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी, ग्राम-सेवरा, थाना-बरहन, तहसील-एत्मादपुर, जिला-आगरा।	सदस्य
9.	श्री मनोज राठी, पलवल रोड, खैर, जनपद-अलीगढ़।	सदस्य
10.	श्री कमलेश कुमार रावत, अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव





सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर प्रबन्ध मण्डल के मा० सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :

मद संख्या 1	: प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 07.12.2010 को सम्पन्न हुई 143वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा 143वीं बैठक दिनांक 07.12.2010 की कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी गयी।
मद संख्या 2	: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 143वीं बैठक दिनांक 07.12.2010 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही। मा० प्रबन्ध मण्डल की 143वीं बैठक दिनांक 07.12.2010 के मद संख्या-3 के सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा वर्तमान परीक्षा प्रकोष्ठ को और प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा प्रकोष्ठ की गोपनीयता के दृष्टिगत परीक्षा प्रकोष्ठ के लिए कार्यालय, स्टाफ, परीक्षा सामग्री तथा आहरण वितरण के अधिकार सहित प्रकोष्ठ प्रभारी को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाय।
मद संख्या 3	: विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 4	: डा० एच०पी०सिंह, कार्यक्रम समन्वयक का 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दो वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही डा० एच०पी० सिंह, कार्यक्रम समन्वयक का धारणाधिकार विश्वविद्यालय से समाप्त कर दिया जाय।
मद संख्या 5	: परिनियमावली के अध्याय XIII, 1 (ई) के स्थान पर संशोधित परिनियम के अनुमोदन का प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के पृष्ठ-39 के प्रस्तर 1.6 में निम्नवत् संशोधन कर दिया जाय। “चयन समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन नियमानुसार प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन के पश्चात् ही कुलपति द्वारा किया जायेगा।”
मद संख्या 6	: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत एक तदर्थ शोध परियोजना “Development of high yielding genotypes of mungbean ( <i>Vigna radiata</i> L. wilczek) possessing resistance to YMV suitable for alkali soils” के विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

मद संख्या 7	: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत एक तदर्थ शोध परियोजना "Identification /development of pigeonpea cultivars possessing resistance to various biotic stresses suitable for waterlogging conditions and physiologically more efficient" के विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 8	: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।
पूरक 1	: विश्वविद्यालय की कतिपय जीर्ण-शीर्ण एवं निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 2	: प्रगति आख्या (अक्टूबर 01, 2010 से जनवरी 31, 2011 तक) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 3	: वर्ष 2010 में प्रदान की जाने वाली उपाधियों का विवरण। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अन्य निर्देश	: 1- इटावा प्रांगण में सुरक्षा व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं पाई गई। अतः सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाई गयी सुरक्षा एजेन्सी एवं सफाई व्यवस्था हेतु लगाई गई संस्था एस0के0 ग्रुप को तत्काल हटाया जाय। उसके स्थान पर नियमानुसार अन्य संस्था से अनुबन्ध किया जाय। 2- स्वामीनाथन गेस्ट हाउस की मरम्मत व फर्नीचर की व्यवस्था शीघ्र कराई जाय। 3- प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्य श्री राम शिरोमणि शुक्ल, श्री सुरेश पचौरी, श्री हरेन्द्र त्यागी एवं श्री मनोज राठी द्वारा अपेक्षा की गई कि दिनांक 8 एवं 9 मार्च 2011 को कृषि विज्ञान केन्द्रों का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाय। इस हेतु निदेशक प्रसार को आवश्यक तैयारी के लिए निर्देशित कर दिया जाय। 4- प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य श्री राम शिरोमणि शुक्ल, श्री सुरेश पचौरी, श्री हरेन्द्र त्यागी एवं श्री मनोज राठी द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि विश्वविद्यालय में रु0 15 लाख से अधिक के जो भी टेण्डर निष्पादित किये जाय उक्त टेण्डर समिति में उन्हें भी शामिल किया जाय तथा यह भी अपेक्षा की गई कि विश्वविद्यालय में होने वाले निर्माण आदि कार्यों के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था को नामित करने में भी उक्त मा0 सदस्यों का अभिमत प्राप्त किया जाय। 5- बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के अधिष्ठाता डा0 एम0पी0 यादव द्वारा कार्य की अधिकता के कारण इटावा में रहकर कार्य किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत चर्चा की गई और यह कहा गया कि प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के ही किसी प्राध्यापक को अधिष्ठाता बनाया जाय ताकि वह वहाँ रहकर समस्त कार्यों को सम्पदित कर


सके। परन्तु वहाँ के एक मात्र प्राध्यापक डा० मो० गुफरान द्वारा लिखित रूप से मना करने के कारण यह निर्णय लिया गया कि डा० मो० गुफरान के पश्चात जो वरिष्ठ प्राध्यापक हो उन्हें अधिष्ठाता बनाया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में डा० मो० गुफरान के अतिरिक्त कोई और प्राध्यापक नहीं है और उनके बाद वरिष्ठता क्रम में डा० जे०पी० यादव, सह प्राध्यापक ही वरिष्ठ हैं परन्तु वे प्राध्यापक नहीं हैं। निकट भविष्य में जब भी चयन समिति की बैठक होगी उसमें वह प्राध्यापक बन जायेंगे। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि डा० जे०पी० यादव जो डा० मो० गुफरान के बाद वरिष्ठता क्रम में दूसरे स्थान पर हैं उन्हें ही बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के हित में तदर्थ रूप से अधिष्ठाता बना दिया जाय तथा आहरण वितरण का अधिकार उस समय तक के लिए दिये जाय जब तक कि अधिष्ठाता के पद पर नियमित नियुक्ति न हो जाय।

6- विश्वविद्यालय अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर शासनादेश संख्या-124/38-2-2010-2(79)डी/2010 दिनांक 25.01.2011 द्वारा श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम विकास अभिकरण, कानपुर देहात को चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के विश्वविद्यालय अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति किया गया है। श्री श्रीवास्तव के आने पर विश्वविद्यालय अभियन्ता के पद का दायित्व उन्हें सौंपा जाय।

7- दैनिक आज समाचार पत्र में दिनांक 23.12.2010 को प्रकाशित समाचार "कुलपति से डीन तक भ्रष्टाचार में : हरेन्द्र त्यागी - प्रकरण पर मा० प्रबन्ध मण्डल में चर्चा की गयी जो समाचार प्रकाशित हुआ था वह तथ्यों से परे था क्योंकि जिस भवन का प्रकरण था उस भवन के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का चयन शासन द्वारा वर्तमान कुलपति की तैनाती से पूर्व ही किया जा चुका था। धनराशि भी पूर्व में ही स्वीकृत हुयी थी इसके लिए वर्तमान कुलपति एवं अधिष्ठाता पर आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण था। चर्चा के दौरान यह तथ्य संज्ञान मे आया कि भवन अभी निर्माणाधीन है। भवन अभी विश्वविद्यालय को हस्तगत नहीं हुआ है। निर्माण में जो कमी हो उस कमी को दूर होने के बाद ही भवन को हस्तगत किया जाय।

अन्त में बैठक मा० अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित

  
{डा० जी०सी० तिवारी}  
कुलपति एवं अध्यक्ष  
प्रबन्ध मण्डल

  
{कमलेश कुमार रावत}  
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव  
प्रबन्ध मण्डल